

भारत सरकार  
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय  
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग  
**लोक सभा**  
**तारांकित प्रश्न सं. 158**  
10/02/2026 को उत्तरार्थ

**विषय: खाद्यान्न और कृषि उत्पादन के नुकसान को कम करने के उपाय**

**\*158. डॉ. शिवाजी बंडाप्पा कालगे:**

**श्री निलेश ज्ञानदेव लंके:**

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मानसून में होने वाले बदलावों और चक्रवाती विक्षोभ के कारण महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में किसानों को खाद्यान्नों और कृषि उत्पादन में हो रहे नुकसान को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार ने विशेषकर महाराष्ट्र के लातूर और अहिल्यानगर (अहमदनगर) संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में किसानों को राहत प्रदान करने और फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को रोकने के लिए ग्राम पंचायत या ब्लॉक स्तर पर आधुनिक भंडारण सुविधाओं/गोदामों के निर्माण के लिए कोई योजना बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार भविष्य में ऐसी प्राकृतिक आपदाओं की रोकथाम और खाद्यान्नों के संरक्षण के लिए निरंतर प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता और वित्तीय सहायता प्रदान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो महाराष्ट्र सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान)**

(क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

“खाद्यान्न और कृषि उत्पादन के नुकसान को कम करने के उपाय” के संदर्भ में लोक सभा में 10 फरवरी 2026 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 158 के भाग (क) से (घ) तक के संबंध में उल्लिखित विवरण।

(क): वर्ष 2024-25 के दौरान महाराष्ट्र राज्य में कुल खाद्यान्न उत्पादन 184.69 लाख टन रहने का अनुमान है, जो वर्ष 2023-24 के 145.09 लाख टन से अधिक है। देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन, रिकॉर्ड 3577.32 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) रहने का अनुमान है, जो वर्ष 2023-24 के 3322.98 एलएमटी खाद्यान्न उत्पादन से 7.65% अधिक है।

इसके अलावा, वर्ष 2025-26 के प्रथम अग्रिम अनुमान (केवल खरीफ) के अनुसार, वर्ष 2025-26 के लिए महाराष्ट्र में कुल खरीफ खाद्यान्न उत्पादन 101.51 लाख टन रहने का अनुमान है, जो वर्ष 2024-25 के 95.33 लाख टन खरीफ खाद्यान्न उत्पादन से अधिक है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एनएफएसएनएम) के तहत, प्राकृतिक आपदाओं और सूखा एवं बाढ़ जैसी अप्रत्याशित परिस्थितियों के दौरान किसानों की बीज की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अल्प और मध्यम अवधि की किस्मों के बीज आरक्षित/संरक्षित रखे जाते हैं।

सरकार ने राज्यों को केंद्र प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत 25% धनराशि को फ्लेक्सी फंड के रूप में निर्धारित करने की अनुमति दी है, ताकि राज्य प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राहत/पुनर्स्थापन गतिविधियों के लिए इस फ्लेक्सी फंड का उपयोग कर सकें।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में सूखा प्रबंधन हेतु फसल मौसम निगरानी समूह (सीडब्ल्यूडब्ल्यूजीडीएम) गठित है, जिसका उद्देश्य वर्षा की स्थिति, खरीफ फसलों की बुवाई की प्रगति, जलाशयों के जल स्तर और अन्य मापदंडों की समीक्षा करके सूखे की स्थिति का निर्धारण/मूल्यांकन करना और दक्षिण-पश्चिम मानसून के मौसम (जून से सितंबर) के दौरान राज्य सरकारों/अन्य हितधारकों के साथ साप्ताहिक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सूखे जैसी किसी भी स्थिति में राज्यों की तैयारियों के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करना है।

सूखे के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान (सीएमपी) लागू है। यह संकट के समय आवश्यक सूखा प्रबंधन उपायों पर केंद्रित है। इसमें आपदा प्रबंधन में केंद्र और राज्य सरकारों तथा उनकी एजेंसियों सहित विभिन्न हितधारकों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का स्पष्ट वर्णन है। सीएमपी संकट के विभिन्न चरणों और प्रत्येक चरण के अनुरूप कार्यनीतिक प्रतिक्रिया की पहचान करने के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट फ्रेमवर्क प्रदान करती है। स्कीम में कार्यनीतिक गतिविधि योजनाकार भी शामिल है, जो वर्ष के विभिन्न समयों में सूखे से निपटने की तैयारी, सूखा रिपोर्टिंग और सूखे से निपटने की कारवाई तथा इन गतिविधियों के लिए जिम्मेदार एजेंसियों से संबंधित महत्वपूर्ण कदमों के लिए एक त्वरित मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करता है।

(ख): कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार इंटिग्रेटेड एग्रीकल्चर मार्केटिंग स्कीम (आईएसएएम) की उप-स्कीम " एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर (एएमआई)" नामक केंद्रीय क्षेत्र स्कीम को कार्यान्वित कर रहा है जिसका उद्देश्य फसलोपरांत होने वाले नुकसान और मजबूरन बिक्री को कम करने के लिए भंडारण इन्फ्रास्ट्रक्चर सहित समग्र मार्केटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास को बढ़ावा देना और सुदृढ़ करना है; किसानों के लिए मार्केटिंग एक्सेस बढ़ाना है। इस स्कीम को महाराष्ट्र के लातूर और अहिल्यानगर (अहमदनगर) सहित पूरे देश में कार्यान्वित किया जा रहा है।

आईएसएएम की एएमआई उप-स्कीम के तहत, महाराष्ट्र राज्य में 95,70,046 मीट्रिक टन भंडारण क्षमता वाली कुल 4,499 भंडारण इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को प्रारंभ से लेकर दिनांक 31.01.2026 तक 35,444.09 लाख रुपये की सब्सिडी के साथ सहायता प्रदान की गई है।

एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ) फसलोपरांत प्रबंधन इन्फ्रास्ट्रक्चर और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के विकास के लिए मध्यम और दीर्घकालिक ऋण वित्तपोषण जुटाने हेतु एक केंद्रीय क्षेत्र स्कीम है। इस स्कीम के अंतर्गत, भारत सरकार 3% प्रति वर्ष ब्याज अनुदान के माध्यम से ऋण सहायता प्रदान करती है। सूक्ष्म एवं लघु उद्यम ऋण गारंटी कोष (सीजीटीएमएसई) और एनएबीएस संरक्षण के तहत ₹2 करोड़ तक के ऋणों के लिए ऋण गारंटी कवरेज भी उपलब्ध है। जुलाई 2020 में स्कीम की शुरुआत से लेकर दिनांक 04.02.2026 तक, महाराष्ट्र राज्य में 15,637 परियोजनाओं के लिए ₹9483.71 करोड़ की ऋण राशि स्वीकृत की गई है।

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भंडारण क्षमता का निरंतर आकलन और निगरानी करता है और भंडारण अंतर आकलन के आधार पर, महाराष्ट्र राज्य में निम्नलिखित स्कीमों के माध्यम से भंडारण क्षमताएं सृजित/किराए पर ली जाती हैं:

- i. निजी उद्यमी गारंटी (पीईजी) स्कीम
- ii. सीडब्ल्यूसी/एसडब्ल्यूसी /राज्य एजेंसियों से गोदामों को किराया पर लेना
- iii. निजी भंडारण स्कीम (पीडब्ल्यूएस) के माध्यम से गोदामों को किराया पर लेना
- iv. परिसंपत्ति मुद्रीकरण के तहत गोदामों का निर्माण
- v. कवर्ड एंड प्लिंथ (सीएपी) हायरिंग स्कीम - 2025
- vi. पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए संशोधित पीईजी स्कीम, जिसमें 15 वर्ष की लंबी गारंटी अवधि शामिल है

दिनांक 01.01.2026 तक, भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) की 19.08 लाख मीट्रिक टन की कवर्ड सेंट्रल पूल भंडारण क्षमता है, जिसमें 9.23 लाख मीट्रिक टन की स्वामित्व वाली क्षमता और 9.85 लाख मीट्रिक टन की किराये पर ली गई क्षमता शामिल है। इसके अतिरिक्त, महाराष्ट्र राज्य में सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन (सीडब्ल्यूसी) की 8.74 लाख मीट्रिक टन की कवर्ड भंडारण क्षमता है, जिसमें 6.84 लाख मीट्रिक टन की स्वामित्व वाली और 1.9 लाख मीट्रिक टन की किराये पर ली गई क्षमता शामिल है।

(ग) और (घ): इसके अलावा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अनुकूल प्रौद्योगिकी को विकसित और बढ़ावा देने के उद्देश्य से 151 जिलों में 448 जलवायु अनुकूल गांवों के लिए राष्ट्रीय नवाचार जलवायु-अनुकूल कृषि (एनआईसीआरए) परियोजना कार्यान्वित कर रही है।

अंतरसरकारी जलवायु परिवर्तन पैनल (आईपीसीसी) के प्रोटोकॉल के अनुसार, एनआईसीआरए के तहत 651 कृषि जिलों के लिए जलवायु परिवर्तन के जोखिम और संवेदनशीलता का आकलन किया गया है। इनमें से 310 जिलों को संवेदनशील के रूप में चिह्नित किया गया है, जिनमें से 109 जिलों को 'अधिक संवेदनशील' और 201 जिलों को 'अत्यधिक संवेदनशील' श्रेणी में रखा गया है। महाराष्ट्र में, एनआईसीआरए परियोजना को सूखा, शुष्क मौसम, लू, तीव्र वर्षा और शीत संकट जैसी स्थितियों का सामना करने वाले नंदुरबार, अहमदनगर, बीड, उस्मानाबाद, लातूर और जालना जिलों में केवीके के माध्यम से कार्यान्वित किया गया है।

एनआईसीआरए के माध्यम से इन जिलों के किसानों के खेतों में जलवायु परिवर्तन के अनुकूल सिद्ध प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन किया गया है। इनमें से कुछ प्रौद्योगिकी में सूखा, गर्मी और बाढ़ के प्रति सहनशील किस्मों का संवर्धन, वर्षा जल संचयन संरचनाएं, मृदा और जल संरक्षण उपाय, चावल की सतत खेती के तरीके, हरी खाद, कृषि वानिकी, उन्नत चारा किस्में, नस्लें और पशुधन के लिए आश्रय और आहार पूरक आदि शामिल हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने और समय पर संचालन के लिए कस्टम हायरिंग सेंटर, चारा और बीज बैंकों के माध्यम से ग्राम स्तरीय संस्थाएं भी स्थापित की गईं। एनआईसीआरए

के अनुभवों और सफलता की कहानियों को महाराष्ट्र सरकार ने जलवायु अनुकूल कृषि परियोजना (पीओसीआरए) के माध्यम से विश्व बैंक की धनराशि से 5,000 गांवों में इन कार्यक्रमों को विस्तारित करने के लिए आगे बढ़ाया।

एनआईसीआरए परियोजना के तहत नंदुरबार, अहमदनगर, बीड, उस्मानाबाद, लातूर और जालना जिलों में जलवायु परिवर्तनशीलता और सूखे, बाढ़ और लू जैसी चरम मौसम स्थितियों से निपटने में किसानों की मदद के लिए विशिष्ट क्षेत्रों के अनुरूप प्रौद्योगिकियों का विकास और प्रदर्शन किया जाता है। इन जिलों में सूखा, शुष्क जलवायु, भीषण गर्मी, भारी बारिश और कभी-कभी शीत ऋतु जैसी समस्याएं भी होती हैं। एनआईसीआरए परियोजना के अनुभव और सफलता की कहानियों को अच्छी तरह से दर्ज किया गया है और आगे विस्तार के लिए राज्य सरकारों के साथ साझा किया गया है।

एनआईसीआरए परियोजना के अंतर्गत, जलवायु परिवर्तन से निपटने में सक्षम कृषि अनुसंधान और उसके व्यावहारिक अनुप्रयोग में किसानों और वैज्ञानिकों की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी प्रदर्शन, प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना एक महत्वपूर्ण घटक है। पिछले 15 वर्षों में, देश भर में लगभग 25,000 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनसे 7.57 लाख किसानों को लाभ हुआ है। महाराष्ट्र में, अब तक 12,000 किसानों को प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, फसल आधारित और पशुधन जलवायु परिवर्तन से निपटने में सक्षम प्रौद्योगिकियों पर लगभग 550 प्रशिक्षण दिए गए हैं।

\*\*\*\*\*